

472/16/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कमल सिंह v/s श्रीमती सायरी

472/16/225

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-7 01/12/18 प्रतीक हुक्म तारीख

तारीख

2016/00472

अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी

श्री कुलवन्त सिंह चौधरी श्री पादवराज सिंह 1/3 4/8

30.11.21

कमल सिंह वगैरह बनाम सायरी व अन्य पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 12.12.2018 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 की तलबी हेतु बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी एवं 6 बार अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किये है। जाप्टा दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 की तलबी हेतु सम्मन/नोटिस पेश नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्टा दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर